

भारत की MSME क्षमता का लाभ उठाना

यह एडिटरियल 02/01/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “[New definition for MSMEs, increased credit guarantee](#)” पर आधारित है। इस लेख में विकास और वनरिमाण को बढ़ावा देने की दृष्टि में MSME नविश एवं टर्नओवर सीमा के वसितार को सामने लाया गया है। हालाँकि, लगातार चुनौतियों से निपटने के लिये गहन नीतगित हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

प्रलिमिस के लिये:

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय](#), [वनरिमाण क्षेत्र](#), [PM विश्वकरमा योजना](#), [मुद्रा योजना वसितार](#), [उद्यम पोर्टल](#), [सरकारी ई-मार्केटप्लेस \(GeM\)](#), [उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन \(PLI\)](#), [ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स \(ONDC\)](#), [RAMP योजना](#), [आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25](#), [यूरोप का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र](#), [डिजिटल MSME 2.0](#)

मेन्स के लिये:

भारत की आर्थिक वृद्धि में MSME की भूमिका, MSME क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे।

सरकार ने हाल ही में [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय \(MSME\)](#) के नविश और टर्नओवर सीमा का वसितार करने की योजना की घोषणा की है, जिससे अधिक व्यवसायों को इस क्षेत्र के लाभों से लाभ मलि सके। 1 करोड़ से अधिक MSME **7.5 करोड़ लोगों को रोजगार** देते हैं तथा वनरिमाण एवं नरियात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए ये क्षेत्र विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। संशोधति वर्गीकरण का उद्देश्य उच्च टर्नओवर सीमा के **साक्ष्म उद्यम के लिये नविश सीमा को 2.5 करोड़ रुपए**, **लघु उद्यम के लिये 25 करोड़ रुपए** और **मध्यम उद्यमों के लिये 125 करोड़ रुपए तक बढ़ाना** है। इन सुधारों का उद्देश्य **MSME विकास को बढ़ावा देना** और **भारत की वनरिमाण क्षमता को प्रबल करना** है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, **दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये गहन नीतगित हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता** है।

//

New classification of MSME

Type	INVESTMENT		TURNOVER	
	Current	Revised	Current	Revised
MicroEnterprise	Rs 1cr	Rs 2.5cr	Rs 5cr	Rs 10cr
Small Enterprise	Rs 10cr	Rs 25cr	Rs 50cr	Rs 100cr
Medium Enterprise	Rs 50cr	Rs 125cr	Rs 250cr	Rs 500cr

Source: Budget 2025-2026, Speech of Nirmala Sitharama, Union Minister of Finance February 1, 2025.

भारत की आर्थिक वृद्धि में MSME की क्या भूमिका है?

- **रोजगार सृजन और आजीविका सहायता:** MSME भारत में गैर-कृषि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, विशेष रूप से **अर्द्ध-कृशल और अकृशल शर्मकियों** के लिये, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
 - डिजिटलीकरण और फनितेक समाधानों के उदय ने सूक्ष्म उद्यमों को वतिलीय बाजारों तक अभगिम एवं परचालन बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
 - **PM विश्वकरमा योजना** और **मुद्रा योजना वसितार** (वतित वर्ष 2024 में **5.41 लाख करोड़ रुपए** स्वीकृत) जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार को और भी बढ़ावा दिया है।


- भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME हैं, जो लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- **सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक विकास में योगदान:** MSME घरेलू उत्पादन, औद्योगिक विस्तार और स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देकर भारत की आर्थिक समुत्थानशक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 - ये कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति करके वृहत उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे औद्योगिक समूहों का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं।
 - **उद्यम पोर्टल** के माध्यम से बढ़ती औपचारिकता (मार्च 2024 तक 4 करोड़ MSME पंजीकृत) के साथ, संरचित आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विस्तार हो रहा है।
 - हालिया रपिर्टों के अनुसार, **MSME का योगदान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और वनरिमाण उत्पादन का 45% है।**
- **नरियात और वदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना:** MSME वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके विशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को पूरा करते हैं।
 - **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** और **उत्पादन-संबंध प्रोत्साहन (PLI)** योजना ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में MSME की भागीदारी को सुदृढ़ किया है।
 - सत्र 2023-24 में, MSME-संबंधित उत्पादों का भारत के कुल नरियात में **45.73% हिससा** रहा, जिससे देश को वैश्विक वनरिमाण केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका दृढ़ हुई है।
- **डजिटल और तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देना:** डजिटल भुगतान, स्वचालन और AI-संचालित समाधानों के अंगीकरण में वृद्धि के साथ, MSME तकनीक-संचालित उद्यमों में परिवर्तित हो रहे हैं।
 - **ओपन नेटवर्क फॉर डजिटल कॉमर्स (ONDC)** और **₹1 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त नवाचार नधि (बजट 2024)** जैसी सरकारी पहल डजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
 - **MSME के 72% लेन-देन अब डजिटल** हो गए हैं, तथा फ्रकिशनलेस क्रेडिट के लिये RBI का सार्वजनिक प्रोद्योगिकी प्लेटफॉर्म गैर-संपारश्विक ऋणों तक पहुँच में सुधार कर रहा है।
 - एयरोस्पेस (तमलिनाडु MSME के लिये बोइंग अनुबंध) और फार्मा (हैदराबाद में अरागेन लाइफ साइंसेज का 2,000 करोड़ रुपए का नविश) जैसी पहल एक सुदृढ़ स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही हैं।
- **महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना:** महिलाओं के नेतृत्व वाली MSME सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण में सुधार के वाहक के रूप में उभर रहे हैं।
 - मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण पहुँच के तहत 51.41 करोड़ ऋणों के लिये 32.36 लाख करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं, जिनमें **8% ऋण महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं**, जिससे अधिक महिला उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
 - **महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME अब उद्यम पंजीकरण का 20.5% हिससा** हैं, जो अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि-आधारित उद्यमों को सुदृढ़ करना:** ग्रामीण MSME स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन करके और कृषि-परसंस्करण उद्योगों को समर्थन देकर शहरों की ओर पलायन को कम करने में मदद करते हैं।
 - **PM विश्वकर्मा योजना (₹13,000 करोड़ परियोजना)** और **आत्मनरिभर भारत (SRI) नधि (₹50,000 करोड़ नधि)** ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
 - इसके अलावा, पशुपालन ऋण गारंटी योजना (वर्ष 2023) के तहत, पशुधन MSME को अब संपारश्विक-मुक्त ऋण मिलता है, जिससे भारत के डेयरी एवं मांस परसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
- **हरति एवं सतत् विकास को सुवधिजनक बनाना:** स्वच्छ ऊर्जा समाधान और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाकर MSME भारत की हरति औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे हैं।
 - **RAMP योजना** (वर्ष बैंक के समर्थन से) और तेलंगाना MSME नीति (MSME और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 4,000 करोड़ रुपए) संवहनीयता पर ज़ोर देती है।

MSME क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **ऋण तक सीमिति अभिगम एवं वृत्तीय बाधाएँ:** MSME को प्रायः सख्त संपारश्विक आवश्यकताओं और जोखिम-वरीधी बैंकिंग नीतियों के कारण अपर्याप्त वृत्तिपोषण की समस्या से जूझना पड़ता है।
 - **अनाधिकारिक ऋण स्रोतों पर नरिभरता** उनकी विकास क्षमता को सीमिति करती है तथा **परचालन व्यय को बढ़ाती है।**
 - सरकार समर्थति योजनाओं के बावजूद, **वृत्तिरण में वलिंब और जागरूकता की कमी** प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है।
 - करसिलि के अनुमान के अनुसार, **देश के 40% से भी कम MSME** औपचारिक वृत्तीय प्रणालियों से ऋण लेते हैं। हाल ही में CGTMSE गारंटी में वृद्धि से मदद मिली है, लेकिन 6.3 करोड़ MSME में से केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण का लाभ उठाया है, जो एक **बड़े अंतर** को उजागर करता है।
 - इसके अलावा, बड़ी कंपनियों और सरकारी वभिगों से भुगतान में वलिंब के कारण चलनधिकी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे इनकी उत्तरजीवति कठिन हो जाती है।
 - वर्ष 2022 की एक रपिर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में **MSME को वलिंबति भुगतान कुल मलिाकर लगभग ₹10.7 लाख करोड़ या देश के GVA का 6% है।**
- **वनियामक बोझ और अनुपालन जटलिता:** MSME को **जटलि वनियामक प्रक्रियाओं**, लगातार नीतगित परिवर्तनों और उच्च अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार करने में सुगमता सीमिति हो जाती है।
 - श्रम, कराधान और पर्यावरण संबंधी वनियामों में कई अतवियापी कानून **प्रशासनिक बाधाएँ** उत्पन्न करते हैं।
 - **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में MSME विकास को बढ़ावा देने के लिये तत्काल वनियमन हटाने का आह्वान** किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि अत्यधिक नियामक बोझ व्यवसाय की दक्षता और नवाचार में बाधा डालते हैं।

- **कुशल कार्यबल की कमी और तकनीकी अंतराल:** कुशल कार्यबल तक सीमिति पहुँच और कम तकनीकी अपनाने से उत्पादकता एवं प्रतिसिपर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
 - अधिकांश MSME पुरानी मशीनरी पर निर्भर हैं तथा स्वचालन एवं AI-संचालित समाधानों में नविश करने की वित्तीय क्षमता का अभाव है।
 - केवल 6% MSME ही बिक्री के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं, जो इस क्षेत्र में सीमिति डिजिटल अंगीकरण को दर्शाता है।
 - MSME मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 45% MSME ने अपने परिचालन में किसी न किसी रूप में AI का अंगीकरण किया है।
- **बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ:** अपर्याप्त सड़क कनेक्टिविटी, अकुशल रेल परिवहन प्रणाली और उच्च रसद लागत वस्तुओं की समय पर परिवहन में बाधा डालती है, जिससे MSME की प्रतिसिपर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
 - नरितर बजिली कटौती और औद्योगिक बजिली की उच्च लागत, वशेष रूप से ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी MSME समूहों में उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है।
 - हाई-स्पीड इंटरनेट तक सीमिति अभगिम, औद्योगिक पार्कों की कमी और अपर्याप्त सामान्य सुविधा केंद्र MSME को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने एवं परिचालन बढ़ाने से रोकते हैं।
 - इसके अलावा, अधिकांश औद्योगिक समूह कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में MSME को नमिनस्तरीय बुनियादी अवसंरचना का समर्थन प्राप्त है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उनका एकीकरण सीमिति हो रहा है।
- **बाज़ार अभगिम और वैश्विक प्रतिसिपर्द्धात्मकता चुनौतियाँ:** MSME को अपर्याप्त ब्रांडिंग, नरियात प्रोत्साहन की कमी और कड़े गुणवत्ता मानकों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमिति अभगिम से जूझना पड़ता है।
 - उच्च रसद लागत एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) के साथ सीमिति एकीकरण प्रतिसिपर्द्धात्मकता को और भी कम कर देता है।
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18% के दायरे में रही है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8% है।
- **सरकारी योजनाओं के प्रतजिगरूकता और उपयोगिता का अभाव:** अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद, कई MSME कम जागरूकता और प्रशासनिक बाधाओं के कारण लाभ उठाने में वफिल रहते हैं।
 - जटिल आवेदन प्रक्रिया और उचित मार्गदर्शन का अभाव छोटे व्यवसायों को लाभ प्राप्त करने में बाधक है।
 - पहली बार उद्यम करने वाले और ग्रामीण MSME के लिये स्थिति और भी खराब है, जिन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है।
 - नवंबर 2024 तक, मुद्रा योजना के तहत 2.57 लाख करोड़ रुपए मंजूर किये गए, लेकिन कई पात्र व्यवसाय ऋण के दायरे से बाहर हैं।
- **पर्यावरण एवं स्थिरता अनुपालन दबाव:** वैश्विक ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों में वृद्धि के साथ, MSME को स्थिरता मानदंडों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
 - सेंटर फॉर स्टडी रीपोर्ट- 2018 में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय MSME सालाना लगभग 110 मिलियन टन CO₂ का उत्सर्जन करते हैं। यह उनके महत्त्वपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करता है।
 - हरित प्रौद्योगिकी अंगीकरण की उच्च लागत और प्रोत्साहनों का अभाव छोटे उद्यमों को पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने से रोकता है।
 - कई नरियात-संचालित MSME को वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को खोने का खतरा है।
 - उदाहरण के लिये, यूरोप का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो यूरोपीय संघ में कुछ नरियातों पर कार्बन कर लगाती है, से भारत के इस्पात उद्योग को नुकसान पहुँचने की आशंका है।
- **औपचारिकता का अभाव:** MSME का एक महत्त्वपूर्ण हिससा अपंजीकृत है, जिसके कारण वशिवसनीय आँकड़ों की कमी, कमज़ोर नीति कार्यान्वयन और संस्थागत समर्थन तक सीमिति अभगिम है।
 - अनौपचारिक व्यवसायों को वित्तीय समावेशन में कठिनाई होती है, जिससे उनके लिये सरकारी लाभ, संरचित ऋण और बीमा योजनाओं का लाभ उठाना कठिन हो जाता है।
 - औपचारिक श्रम अनुबंधों के अभाव के कारण श्रम संहिताओं का अपर्याप्त प्रवर्तन हो पाता है, जिससे श्रमिक ESI, PF और स्वास्थ्य बीमा जैसे आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जाते हैं।

Government Initiatives Related to MSMEs



भारत में MSME क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **औपचारिक ऋण अभिगम को सुदृढ़ करना और वित्तीय बाधाओं को कम करना:** फनितेक और डजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपारश्वकि-मुक्त ऋण का वसितार करने की आवश्यकता है। बेहतर जोखिम कवरेज के लिये **मुद्रा योजना** और **CGTMSE** को एकीकृत किया जाना चाहिये।
 - ऋण में वलिनब पर नज़र रखने के लिये **MSME क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना** की जानी चाहिये। नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिये **फैक्टरिंग सेवाओं** और **इनवॉइस डिसिकाउंटिंग** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। साथ ही, **MSME फाइनंस कंपनियों** भी स्थापति की जा सकती हैं।
 - MSME समाधान पोर्टल के अंतर्गत **भुगतान की सख्त समयसीमा** अनविर्य करने की आवश्यकता है।
 - तेज़ी से चालान नपिटान के लिये **TReDS** और **GeM खरीद** को लकि किया जाना चाहिये। **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बड़ी कंपनियों** को MSME भुगतान को प्राथमकिता देने के लिये प्रोत्साहति किया जाना चाहिये।
- **वनियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थति करना और अनुपालन बोझ को कम करना:** MSME अनुमोदन के लिये **एकल-खडिकी मंजूरी** लागू करने की आवश्यकता है। लालकीताशाही को कम करने और अनुपालन लागत को कम करने के लिये **RAMP योजना** को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मामूली वनियामक फाइलिंग के लिये **स्व-घोषणा तंत्र स्थापति** करने की आवश्यकता है।
 - तीव्र शकियात नविरण के लिये **राज्य स्तरीय MSME सुवधि परषिदों** का गठन किया जाना चाहिये।
- **बाज़ार पहुँच और वैश्विक प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना:** मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और वैश्विक आपूर्ता शृंखलाओं के माध्यम से **नरियातोनमुख MSME** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
 - स्थानीय उद्योगों को मज़बूत करने के लिये **PLI योजनाओं** और **क्लस्टर आधारति विकास का** वसितार करने की आवश्यकता है।
 - प्रतयक्ष बाज़ार पहुँच के लिये ONDC और GeM के साथ **ई-कॉमर्स एकीकरण** में सुधार किया जाना चाहिये।
 - अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिये **सबसडियुक्त ब्रांडिंग एवं प्रमाणन सहायता** प्रदान की जानी चाहिये।
- **डजिटल और तकनीकी अंगीकरण को बढ़ावा देना:** MSME टेक हब के माध्यम से **AI, IoT और ऑटोमेशन अंगीकरण की सुवधि** प्रदान करने की आवश्यकता है। नरिबाध डजिटल ऑनबोर्डिंग के लिये **उद्यम और ONDC प्लेटफॉर्म को एकीकृत** करने की आवश्यकता है।
 - साइबर सुरक्षा, क्लाउड एक्सेस और ई-कॉमर्स भागीदारी में सुधार के लिये **डजिटल MSME 2.0** लॉन्च किया जाना चाहिये।
 - क्षेत्र-वशिषिट प्रशकिषण कार्यक्रम बनाने के लिये **कौशल भारत और PM वशि्वकर्मा योजना का** वसितार किया जाना चाहिये।
 - औद्योगिक क्लस्टरों में **MSME अपरेंटसिषिपि केंद्र** स्थापति किया जाना चाहिये।
- **कच्चे माल की लागत और आपूर्ता शृंखला बाधाओं को कम करना:** स्थरि मूल्य नरिधारण सुनशिचति करने के लिये **MSME-केंद्रति कच्चे माल बैंक वकिसति** किया जाना चाहिये।
 - आत्मनरिभर भारत पहल के तहत **प्रमुख इनपुट के घरेलू वनिरिमाण को प्रोत्साहति** किया जाना चाहिये।
 - बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के लिये **वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्कों को सुदृढ़** किया जाना चाहिये। लागत कम करने के लिये **क्लस्टर-आधारति खरीद मॉडल लागू** किया जाना चाहिये।

- MSME को सस्ते कच्चे माल तक पहुँच प्रदान करने के लिये थोक खरीद सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ग्रामीण एवं कृषि आधारित MSME का सुदृढीकरण: कारीगर आधारित उद्यमों के लिये PM विश्वकर्मा योजना और स्फूर्त क्लस्टरों का वसितार करने की आवश्यकता है।
 - कृषि प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में ग्रामीण उद्योगों के लिये लक्ष्यित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।
 - ग्रामीण MSME को बढ़ावा देने के लिये सहकारी आधारित व्यवसाय मॉडल को मज़बूत किया जाना चाहिये। कृषि MSME के लिये कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण आपूर्ति शृंखला नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
 - छोटे किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिये MSME-अनुकूल कृषि निर्यात केंद्र विकसित किया जाना चाहिये।
- हरित MSME एवं सतत विकास को बढ़ावा देना: पर्यावरण अनुकूल व्यवसायों के लिये हरित MSME प्रमाणन कार्यक्रमों का वसितार करने की आवश्यकता है।
 - नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये कम ब्याज दर पर हरित वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
 - अपशिष्ट को न्यूनतम करने और पुनर्चक्रण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन स्थापित किया जाना चाहिये। संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं के लिये ESG-लकिड क्रेडिट कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- MSME में महिला एवं सामाजिक उद्यमिता को सुदृढ करना: CGTMSE के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिये उच्च ऋण गारंटी कवर प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - मुद्रा योजना के समर्थित महिला उद्यमी कोष का वसितार किया जाना चाहिये। वित्तीय समावेशन के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) को MSME क्लस्टरों से जोड़ने की आवश्यकता है।
 - महिला उद्यमियों के लिये सह-कार्यशील स्थानों और मेंटरशिप कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिये GeM के माध्यम से बाज़ार पहुँच में सुधार किया जाना चाहिये।
- आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन को बढ़ाना: आर्थिक आघात से बचाव के लिये MSME आपदा रिकवरी फंड विकसित किया जाना चाहिये। महामारी जैसी बाधाओं को कवर करने के लिये बीमा योजनाओं को सुदृढ करने की आवश्यकता है।
 - मंदी के दौरान लचीली ऋण पुनर्गठन नीतियों को लागू किया जाना चाहिये। क्राउडफंडिंग और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग जैसे वैकल्पिक ऋण स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- MSME का औपचारिकीकरण और संस्थागत समर्थन को दृढ करना: औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कम GST दरों और प्राथमिकता वाले ऋण लाभ जैसे प्रोत्साहनों के साथ अनिवार्य उद्यम पंजीकरण को लागू करने की आवश्यकता है।
 - बेहतर भागीदारी के लिये औपचारिक पंजीकरण को सरकारी योजनाओं, GeM खरीद और ऋण गारंटी कार्यक्रमों तक अभिगम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
 - केंद्रीय मंत्रालयों/वभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) द्वारा वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किया जाना सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
 - छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करते हुए श्रम संहिताओं के प्रवर्तन को मज़बूत किया जाना चाहिये। नीति लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन में सुधार के लिये MSME डेटाबेस को आधार, GSTIN और बैंकिंग प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।

मुख्य सफ़ारिशें: MSME ऋण पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट (अप्रैल 2022)

- ऋण देने के लिये डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र: संपार्ष्विक आवश्यकताओं को कम करने और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिये उद्यम पोर्टल के माध्यम से एक केंद्रीकृत डिजिटल ऋण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिये। (उदाहरण: उद्यम पंजीकरण ऋणदाताओं के लिये डेटा संग्रह के रूप में कार्य करता है।)
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क: क्रेडिट एक्सेस में सुधार, धोखाधड़ी को रोकने और NPA को कम करने के लिये सुरक्षित वित्तीय डेटा साझाकरण को सक्षम किया जाना चाहिये। (उदाहरण: SAHAY GST प्लेटफॉर्म ने भौतिक संपार्ष्विक को GST चालान-आधारित ऋण के साथ बदल दिया है।)
- नकदी प्रवाह ऋण मॉडल: GST और लेनदेन डेटा का उपयोग करके परसिंपत्त-आधारित से नकदी प्रवाह-आधारित ऋण की ओर बदलाव। (उदाहरण: बेहतर ऋण मूल्यांकन के लिये खाता एग्रीगेटर कार्यदोष में GSTIN का उपयोग।)
- MSME औपचारिकीकरण में तेज़ी लाना: ऋणों को GST चालान से जोड़कर औपचारिक क्षेत्र की ऋण पहुँच में वृद्धि किया जाना चाहिये। (उदाहरण: GST पंजीकरण द्वारा औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने से ऋण पात्रता में सुधार हुआ।)
- लक्ष्यित ऋण गारंटी: कमज़ोर उधारकर्ताओं को क्षेत्र-और क्षेत्र-वशिष्ट गारंटी प्रदान किया जाना चाहिये। (उदाहरण: आर्थिक संकट के दौरान सलॉन और टूर एजेंसियों जैसे उद्योगों पर विशेष ध्यान देना।)
- SIDBI को सुदृढ बनाना: उधार दरों को कम करने और NBFC वित्तपोषण का समर्थन करने के लिये सडिबी में ₹5,000-₹10,000 करोड़ की इक्विटी डाला जाना चाहिये। (उदाहरण: SIDBI का उद्यम अससिट प्लेटफॉर्म MSME पंजीकरण को बढ़ावा दे रहा है।)
- व्यापार क्रेडिट कार्ड योजना: अलपावधि, कम ब्याज वाले ऋण के लिये किसान क्रेडिट कार्ड जैसे व्यवसाय क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जानी चाहिये। (उदाहरण: कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों के लिये MSME व्यापार क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं।)

नष्कर्ष:

MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जो रोज़गार, GDP और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। औपचारिकता को सुदृढ करना, हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना और बाज़ार अभिगम को बढ़ाना MSME को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा सकता है। लक्ष्यित नीतितगत हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधार इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में महत्त्वपूर्ण होंगे। अंततः एक समुत्थानशील MSME इकोसिस्टम भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की कुंजी है।

